अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम औसिया

जालमसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा विविधि प्रार्थना पत्र नम्बर ..... 1. / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
30.12.2020	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई । अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई गई । दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । हल्का पटवारी व तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल की गई । दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । प्रार्थी का कथन है कि ग्राम डाबडी के खसरा नम्बर 385 / 373 रकबा 30 बीघा 9 बीस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी की आई हुई है जिसमे पडौसी खातेदार द्वारा नाजायज अतिकमण करने का प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण लक्ष्मणसिंह वगैरा के खिलाफ सन् 2007 मे एक राजस्व वाद पेश किया जो अदालत हाजा मे विचाराधीन है तथा उक्त वाद के टी.आई.प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध मोके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्टे आदेश जारी हो रखा है । प्रार्थी उक्त भूमि मे अपनी रिहायसी ढाणी मे पानी व बिजली का कनेक्शन लेने हेतु फाईले जमा करवाई जिनमे मांग पत्र प्राप्त होने पर सरकार ने मांग पत्र की राशि जमा करवाई जा चुकी है लेकिन उक्त विभागो द्वारा यथास्थिति के आदेश के कारण प्रार्थी को पानी व विधुत कनेक्शन नही दे रहे है । पानी व विधुत का सम्बन्ध लेना प्रार्थी का सवैधानिक भूल भूत अधिकार है इसलिए प्रार्थी को पानी व विधुत कनेक्शन करने की अनुमति प्रदान करावे । अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र मे यह बताया कि दिंनाक 10.3.2008 को न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया हुआ है तथा भोतिक संरचना मे परिर्वतन नही करने का आदेश है इसके अलावा अप्रार्थीगण ने अपने जबाब मे यह भी बताया कि पूर्व मे दिंनाक 15.7.2016 को धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र विधुत व पानी का कनेक्शन लेने बाबत इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है जिसके खिलाफ प्रार्थी ने कोई अपील पेश नही की है तथा पुनः दुसरा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पोषणीय नही है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । हमने दोनो अधिवक्ताओ की बहस पर गौर किया ,हल्का पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया । मानव अधिकारो के तहत हवा, पानी, प्रकाश, विधुत की रोशनी अति आवश्यक प्रकृति मे आती है तथा मानव जीवन के लिए एवं आज के वैज्ञानिक युग मे मोबाईल फोन, टी.वी. आदि चलाने के	

सहायक कलक्टर, औसिया

Scanned with CamScanner

लिए एवं बाल बच्चो की पढाई के लिए विधुत कनेक्शन का होना अति आवश्यक है तथा पानी मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है इसलिए मामले के हालात व परिस्थितियो को मध्य नजर रखते हुए इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी किये गये स्टे आदेश मे पानी व विधुत सम्बन्ध प्रार्थी को नियमानुसार दिये जाने मे छुट प्रदान की जाती है तथा प्रार्थी उक्त पानी व विधुत सम्बन्ध के आधार पर विचाराधीन मूल वाद मे वादी अपने कब्जे अधिकार व अधिपत्य के बारे मे साक्ष्य सबूत के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नही कर सकेगा तथा उक्त पानी व विधुत सम्बन्ध तथा यह आदेश पूर्ण रूप से मूल वाद के निर्णय के अधिन रहेगे । इस प्रकार से प्रार्थी को उक्त भूमि मे पानी व विधुत सम्बन्ध देने की छुट प्रदान की जाती है । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर मूल पत्रावली के सलंग्न की जावे ।

Scanned with CamScanner